<u>न्यायालय: गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 162 / 2015

संस्थापन दिनांक 08.04.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—शिवराजसिंह पुत्र निरंजनसिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष 2—रघुराजसिंह पुत्र जितवारसिंह गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासीगण जितरवई थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 338 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.02.15 को 18:00 बजे खेरी का पुरा स्कूल का विद्युत टांसफार्मर थाना मौ जिला भिण्ड पर नवलिसंह कुशवाह को उतावलेपन एवं उपेक्षा से विद्युत डी०पी० पर कार्य कराकर विद्युत करंट से उपहित कारित की जो जीवन को संकटापन्न करती है और नवलिसंह अ०सा०3 दिनांक 11.02.15 से 13.03.15 तक बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.15 को फोन पर आरोपी शिवराज व रघुराज जो बिजली विभाग के ठेकेदार हैं, ने फरियादी कैलाश अ0सा01 के पुत्र नवल अ0सा03 से फोन पर बात की कि खेरी के पुरा के स्कूल के पास डी.पी. पर अधूरा काम पड़ा है जिसे नवल अ0सा03 को करना है। प्रातः दस बजे नवल अ0सा03 कार्य करने के लिए निकला कल्याण व विजय ने जो मिस्त्री थे, से नवल ने रस्सा लिया और नवल अ0सा03 डी.पी. पर पहुंचा तब डी.पी. पर काम करते समय नवल अ0सा03 को करंट लग गया जिसके कारण उसका शरीर जल गया और स्कूल के टीचर उसे ग्वालियर ले गये। शाम 9 बजे कल्याण ने फरियादी कैलाश अ0सा01 को दुर्घटना की सूचना दी तब कैलाश अ0सा01 नवल अ0सा03 को देखने अस्पताल पहुंचा । तत्पश्चात फरियादी कैलाश

अ०सा०१ ने थाना मौ में आवेदन प्र०पी—१ दिया जिस पर से थाना मौ में अप०क० 73/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.02.15 को 18:00 बजे खेरी का पुरा स्कूल का विद्युत टांसफार्मर थाना मौ जिला भिण्ड पर नवलिसंह कुशवाह को उतावलेपन एवं उपेक्षा से विद्युत डी०पी० पर कार्य कराकर विद्युत करंट से उपहित कारित की जो जीवन को संकटापन्न करती है और नवलिसंह अ0सा03 दिनांक 11.02.15 से 13.03.15 तक बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

5. नवल अ0सा03 ने कथन किया है कि कल्ली और विजय फरवरी 2015 में 10—11 बजे खेरी के पुरा के पास बिजली का काम कराने के लिए ले गये थे जिन्होंने जबरदस्ती उसे डी.पी. पर चढ़ा दिया फिर उसे करंट लग गया और कॉलेज वाले लोग उसे उपचार के लिए ग्वालियर ले गये और पिता को घटना के बारे में सूचना दी। आरोपी शिवराज व रघुराज ने उसे डी.पी. पर नहीं चढ़ाया। वह कल्याण और विजय की ओर से काम कर रहा था और कल्याण और विजय किसी और के लिए काम नहीं कर रहे थे।

6. कैलाश अ0सा01 ने कथन किया है कि नवलिसंह उसका बेटा है। दिनांक 22.07.16 से 16–17 माह पूर्व आरोपी रघुराज व शिवराज जो बिजली के ठेकेदार थे 10–11 बजे नवल अ0सा03 को घर से बुलाकर ले गये थे उसका बेटा गढ़ढा खोदने का काम करता था शाम 9–10 बजे कल्याण ने रात में आकर बताया कि नवलिसंह को करंट लग गया है और विजयसिंह रस्सा लिए हुए थे। फिर वह रात्रि 11 बजे अस्पताल पहुंचा उसने थाने पर आवेदन प्र0पी–1 दिया था पुलिस उसे दुर्घटना वाली जगह लेकर गयी थी और नक्शामौका प्र0पी–2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. साक्षी रामिसया अ०सा०२ ने कथन किया है कि उसका भतीजा नवलिसंह अ०सा०३ खेरी के पुरा पर जहां डी.पी. रखी जा रही थी वहां पर काम कर रहा था। आरोपीगण ने फोन करके नवलिसंह अ०सा०३ को डी.पी. पर काम करने के लिए बुलाया था जहां नवल अ०सा०३ को करण्ट लग गया और उसके स्टाफ वाले उसे ग्वालियर लेकर चले गये थे। 9 बजे कल्याण और विजयिसंह मिस्त्री ने घटना की जानकारी दी फिर वह नवल अ०सा०३ को देखने अस्पताल गये। इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने नवल अ०सा०३ से कहा कि डी.पी. पर काम अधूरा पड़ा है जो करना है। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि नवलिसंह अ०सा०३ ने विजयिसंह से रस्सा मांगा और चला गया जहां उसे करंट लगा। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—3 में भी दिए जाने से इंकार

किया है।

अतः आहत नवल अ०सा०३ ने स्पष्ट कथन दिया है कि उसे आरोपीगण ने कार्य करने के लिए नहीं कहा अपित कैलाश व विजय ने उससे कार्य करने के लिए कहा था और उक्त कैलाश व विजय भी आरोपीगण के अधीनस्थ कार्य कर रहे थे इस तथ्य से नवल अ०सा०३ ने इंकार किया है। कैलाश अ०सा०१ व रामसिया अ०सा०२ इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराये गये हैं कि आरोपीगण ने उनके समक्ष नवल अ०सा०३ को कार्य करने के लिए बुलाया था। लेकिन स्वयं नवल अ०सा०३ ने उक्त आरोपीगण द्वारा बुलाये जाने का कथन नहीं किया है। कैलाश अ0सा01 ने पैरा 2 में बताया है कि वह मौके पर अथवा घर पर घटना के समय नहीं था और पैरा 3 में बताया है कि आरोपीगण ने फोन से उसके लड़के को नहीं बुलाया था अपित् घर पर लेने आये थे जबकि उसके भाई रामसिंह अ०सा०२ ने आरोपीगण द्वारा फोन से बूलाये जाने का तथ्य बताया है। अतः उक्त दोनों साक्षीगण के कथन में भी आरोपीगण द्वारा नवलसिंह अ०सा०३ को बुलाये जाने के संबंध में विरोधाभास है जिससे कैलाश अ0सा01 व रामसिया अ०सा02 के कथन भी आरोपीगण द्वारा बुलाये जाने के संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः नवलसिंह अ०सा०३ ने आरोपीगण द्वारा उससे उपेक्षापूर्वक कार्य 🏿 कराये जाने के तथ्य का स्पष्ट खण्डन किया है और साक्षी कैलाश अ०सा०1 व रामसिया अ०सा०२ द्वारा भी उनके समक्ष आरोपीगण द्वारा नवलसिंह अ०सा०३ को बुलाये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार विश्वसीनय साक्ष्य पेश नहीं की गयी है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 11.02.15 को 18:00 बजे खेरी का पूरा स्कूल का विद्युत ट्रांसफार्मर थाना मौ जिला भिण्ड पर नवलसिंह कुशवाह को उतावलेपन एवं उपेक्षा से विद्युत डी०पी० पर कार्य कराकर विद्युत करंट से उपहति कारित की जो जीवन को संकटापन्न करती है और नवलसिंह अ0सा03 दिनांक 11.02.15 से 13.03.15 तक बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा।

परिणामतः आरोपीगण को धारा ३३८ भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ६ गोषित किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। 11.

दिनांक :-

जाराप से दोषमु

ग भारमुक्त किए जाते हैं।

सही /—
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०